न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–02 / 2021

1. मनफुलराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी साकिन–10 एलएम ए तहसील अनूपगढ़।
2. हेतराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी साकिन–10 एलएम ए तहसील अनूपगढ़।

–– प्रार्थीगण

बनाम्

1. सहीराम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी चक 10 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

–::निर्णय::– **दिनांक:–05.07.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के परिवार की सदस्यों श्रीमती उदीदेवी पत्नी हुकमाराम, रामेश्वर, भागीरथ, गोमती, मनोहरी, मेमदेवी व विद्यादेवी पुत्र व पुत्रियॉ हुकमाराम के नाम से संयुक्त रूप से चक 10 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–284 / 481 के किला नम्बर 3 / 2 का 0.177 कमाण्ड, 3 / 3 का 0.025 खाला, 4 / 1 का 0.228 कमाण्ड, 4 / 2 का 0.025 खाला, 5 / 1 का 0.228 कमाण्ड,5 / 2 का 0.025 खाला, 6, 7 सालम, 8 / 2 का 0.202, 13 / 2 का 0.202, 14, 15 सालम कमाण्ड कमाण्ड इस प्रकार कुल 2.124 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व इसी मुरब्बा नम्बर 13 पत्थर सं.–284 / 481 के किला नम्बर 16,17 सालम, 18 / 1 का 0.203, 23 / 2 कां 0.203, 24 / 2 का 0.253, 25 / 2 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड कुल 1.418 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 10 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–13 पत्थर सं.–284 / 481 मे अनावेदक के अधिकार व अधिपत्य की कृषि भूमि की उक्त कुल 0.505 हैक्टर के किला नम्बर 21,22,23 प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जिसे स्वीकृत किया जावे जो रास्ता प्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं. –23 की शेष भूमि मे पहुॅचता है। चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदकगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आ जा सकेंगे तथा जो रास्ता गॉंव मे जाने वाले रास्ता आम से जुड़ जाऐगा, जिससे आवेदकगण अपनी कृषि भूमि मे आसानी से आवागमन कर सकेंगे। उक्त रास्ता पिछले 30–35 वर्षो से चालू है। लेकिन अनावेदक उक्त चल रहे रास्ता से अनावेदकगण का आवागमन बाधित करने के प्रयासरत है।। नजरी नक्शा संलग्न है। आवेदकगण की उक्त कृषि भूमि मे आने जाने के लिए विद्यमान में कोई मार्ग नही है। आवेदकगण को आत्याधिक आवश्यकता है। जिसके लिए आवेदकगण नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। आवेदकगण ने अपनी उक्त कृषि भूमि के लिए उक्त अनावेदक से अरसा पांच दिन पूर्व नय[illegible] के लिए आग्रह किया तो वह स्पष्ट इंकार हो गया और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि वह [illegible] को उनकी कृषि भूमि मे आवागमन के लिए अपनी भूमि के किला नम्बर 21,22,23 [illegible] बल्कि जो रास्ता चल रहा है उसे शीघ्र ही बंद कर दूंगा। इ[illegible]या।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया। अ[illegible] बाद तामील उपरांत भी न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वांछित रास्ता के संबंध में भू. अभिलेख निरीक्षक, लूणियॉ से मौका रिपोर्ट तलब की।

मुताबिक रिपोर्ट भू.अभिलेख निरीक्षक, लूणियॉ राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खाता सं.–4 व 5 के मुरब्बा नं..13 पत्थर नं.–284 / 481 का किला नं.–3 / 2 / 177, 3 / 3 / 0.025 खाला 4,5,6,7 सालम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:36:22 IST
Reason: SelfAttested

मय खाला, 8/2 का 0.202, 13/2 का 0.202, 14ता17 का 1.012, 18/1 का 0.203, 24/2 का 0.253, 25/2 का 0.253 कुल 3.542 हैक्टर कमाण्ड मय खाला रकबा मनफुलराम, हेतराम, पिसरान हुकमाराम जाति जाट का संयुक्त खाते में व किला नं.–21/2 का 0.202, 22/2 का 0.253, 23/3 का 0.505 कमाण्ड रकबा सहीराम पुत्र आशाराम जाट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक पर्चा खातौनी एवं जमाबंदी के मुरब्बा नं.–13 का किला नं.–1 का 0.182, 10 का 0.202, 20 का 0.202,21 का 0.202, 22ता25 सालम खातेदार के नाम दर्ज है। परन्तु रास्ते के खाते में किला नं.–1,10,11,20,21 के स्थान पर किला नं.–21ता25 में रास्ते का रकबा दर्ज है, जो निरन्तर रिकॉर्ड चला आ रहा है। मौके पर मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं.–284/481 के किला नं.–1,10,11,20,21 में पक्की सड़क (10 एलएम से लूणियॉ) बनी हुई है। उपस्थित लोगों ने बताया कि उक्त मुरब्बा नं.–13 पत्थर नं––284/481 के किला नं.–21ता25 मे कभी भी स्वीकृतशुदा रास्ता नही था। आवेदकगण द्वारा चाहा जा रहा मुरब्बा नं. –13 पत्थर सं.–284/481 के किला नं.–21,22,23 में एक–एक बिस्वा रास्ता ही लघुत्तम एवं निकटतम है। आवेदकगण मुरब्बा नं.–32 पत्थर नं.–284/482 के किला नं.–1ता5 मे से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर रहे थे, जो मौके पर मुरब्बा नं.–32 पत्थर नं.–284/482 के खातेदारों द्वारा लकडी व कंटीली तारों से बने (दरवाजानुमा) सांचे से बंद कर रखा है।

तदपंरात बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वांछित रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि भू.अ. निरीक्षक लूणियॉ द्वारा प्रार्थीगण की भूमि के कोई मार्ग विद्यमान नहीं होने एवं वांछित मार्ग के अत्यान्तिक आवश्यकता का, लघुत्तम व सुगम होने की रिपोर्ट दी है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित मार्ग स्वीकृत किया जावे।

अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को अन्य काश्तकार की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251"क" राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्कता को परमावश्यक मानते हुए एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हो जाने के आधार पर अनावेदक की कृषि भूमि चक 10 एलएम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–13 पत्थर सं.–284/481 मे अनावेदक के अधिकार व अधिपत्य की कृषि भूमि की उक्त कुल 0.505 हैक्टर के किला नम्बर 21,22,23 प्रत्येक में से मुरब्बा नं. –32 प.सं.–284/482 के किला नं.–1ता3 के चिपता हुआ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थी को भुगतान करने हेतु राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ [illegible] करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर भू. अभिलेख निरीक्षक [illegible] रास्ता चालू करवाने हेतु पाबंद करें। अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान उनके रास्ता में आयी भूमि के मुताबिक किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:36:22 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़